

शुद्धि पत्र

पत्रांक 15/पी 5-04/2014

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज, बि०प्र०से०
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक /2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के विकास हेतु पूर्व से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त चालू योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्कीम अन्तर्गत कुल रू० 33,70,06,491/- (तैतीस करोड़ सत्तर लाख छः हजार चार सौ एकान्बे) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के विकास हेतु पूर्व से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त चालू योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्कीम अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 71 दिनांक 11.12.2017 द्वारा कुल रू० 33,70,06,491/- (तैतीस करोड़ सत्तर लाख छः हजार चार सौ एकान्बे) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश की कंडिका 03 में राशि स्वीकृति संबंधी अंकित विवरणी के स्तम्भ 06 एवं 07 को क्रमशः 05 एवं 06 संशोधित समझा जाए।

3. स्वीकृत्यादेश की कंडिका 03 के स्तम्भ 04 एवं 05 में वर्णित कुल राशि रू० "839351564/-" एवं "502345073/-" को क्रमशः रू० "639506491/-" एवं "302500000/-" संशोधित समझा जाए।

4. अन्य तथ्य यथावत रहेंगे।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अरशद फिरोज)

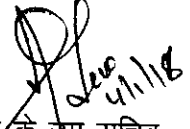
सरकार के उप सचिव

ज्ञापक 15/पी 5-04/2014 03

पटना, दिनांक ५/१/2018

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव शिक्षा विभाग के निजी सहायक/वित्त विभाग (स्कीम एवं बजट शाखा)/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान

सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय/ कुलसचिव, राज्य के सभी विश्वविद्यालय /प्रधानाचार्य, संबंधित सभी महाविद्यालय/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम /कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/निदेशक, उच्च शिक्षा/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी /लेखापाल, उच्च शिक्षा/प्रशाखा पदाधिकारी-5, 14 एवं 15 शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव